न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2021/335

01. श्रवण सिंह पुत्र स्व श्री भगवत सिंह,
02. मूल सिंह पुत्र स्व श्री बजरंग सिंह सतस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम सुलियावास तहसील दातारामगढ, जिला सीकर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दातारामगढ, तहसील दातारामगढ, जिला सीकर।

——रेस्पोडेन्ट

02. श्रीमती दाखा देवी पत्नी नानूराम जाति जाट निवासी राड़ की ढाणी, मूण्डियावास, तहसील दातारामगढ, जिला सीकर।
03. मेब सिंह पुत्र स्व. श्री मदु सिंह राजपूत,
04. श्रीमती रूकम कंवर पत्नी स्व. श्री भान सिंह जाति राजपूत,
05. हेमसिंह पुत्र स्व. श्री मदु सिंह,
06. विजय कंवर पत्नी स्व. श्री मदु सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम सुलियावास तहसील दातारामगढ, जिला सीकर।
07. रामेश्वर पुत्र श्री भूराराम जाति जाट निवासी राड की ढाणी मूण्डियावास तहसील दातारामगढ, जिला सीकर।
08. करण सिंह पुत्र स्व. श्री दयाल सिंह राजपूत,
09. श्रीमती तीर कंवर पत्नी स्व. श्री भगवत सिंह,
10. नरपत सिंह पुत्र स्व. श्री दयाल सिंह जाति राजपूत,
11. शंकर सिंह पुत्र स्व. श्री बजरंग सिंह,
12. श्रीमती मोहन कंवर पत्नी स्व. श्री बजरंग सिंह, समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम सुलियावास तहसील दातारामगढ जिला सीकर।
13. भंवर कंवर पुत्री स्व. श्री दयाल सिंह पत्नी श्री सवाई जाति राजपूत निवासी सुभाष कॉलोनी सावली रोड सीकर तहसील व जिला सीकर।
14. मगन सिंह पुत्र स्व. श्री बाल सिंह जाति राजपूत,
15. श्रीमंती रसाल कंवर पत्नी स्व श्री दयाल सिंह,
16. राजू सिंह पुत्र स्व. श्री दयाल सिंह,
17. रामसिंह पुत्र स्व श्री भगवत सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम सुलियावास तहसील दातारामगढ जिला सीकर।
18. सोहन कंवर पुत्री स्व. श्री दयाल सिंह पत्नी श्री शेर सिंह, जाति राजपूत निवासी लाघणू तहसील खींवसर जिला नागौर।
19. हणमान सिंह पुत्र स्व. बालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सुलियावास तहसील दातारामगढ, जिला सीकर।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

20. हंसा कंवर पुत्री स्व. श्री दयाल सिंह पत्नी समुद्र सिंह राजपूत निवासी लाघणू तहसील खींवसर जिला नागौर।
21. इन्द्र सिंह पुत्र स्व. भंवर सिंह,
22. श्रीमती कैलाश कंवर पुत्री स्व. भंवर सिंह,
23. गोविन्द सिंह पुत्र स्व. जस सिंह,
24. नन्द सिंह पुत्र स्व. श्री समुद्र सिंह,
25. पिन्टु सिंह पुत्र स्व. श्री समुद्र सिंह,
26. श्रीमती बिमला कंवर पत्नी स्व. श्री समुद्र सिंह,
27. भंवर सिंह पुत्र स्व. श्री जस सिंह,
28. माल सिंह पुत्र स्व. श्री गंगा सिंह,
29. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री भंवर सिंह,
30. श्रवण सिंह पुत्र स्व. श्री भंवर सिंह,
31 श्रीमती सायर कंवर पत्नी स्व. श्री भंवर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम सुलियावास तहसील दातारामगढ जिला सीकर।

——प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री रघुवीर सिंह राठौड़, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री श्यामबाबू पारीक, एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 25.07.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2021 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 11.06.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि तहसीलदार दातारामगढ ने दिनांक 04.03.2021 को एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ के समक्ष मौका निरीक्षण रिपोर्ट व नजरी नक्शा संलग्न करते हुए व अंकित करते हुए प्रस्तुत किया कि ग्राम शिवभजनपुरा के खसरा नम्बर 257, 256, 292, 300, 298, 255/1123, व 254/1122 निजी की खातेदारी की भूमि पर रास्ता विद्यमान है जिसकी मौके अनुसार रिकार्ड में रास्ता परिवर्तन किया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ ने उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 10.03.2021 को धारा 131 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मानते हुए प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये बिना ही दिनांक 10.03.2021 को अपीलाधीन निर्णय पारित फरमा दिया।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि पत्रावली में अपीलार्थीगण या प्रारूपिक रेस्पोडेन्टस को कोई भी नोटिस ही जारी नहीं किया गया है बल्कि बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही बाला–बाला अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.03.2021 की पालना हेतु तहसीलदार दातारामगढ को रीडर क्रमांक 2021/152 दिनांक 10.03.2021 को ही जारी कर दिया गया। तत्पश्चात् पटवारी हल्का सुलियावास द्वारा तहसीलदार दातारामगढ के समक्ष एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि खसरा नम्बर 292 रकबा 0.48 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 में से 0.10 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ते के लिये आदेश हुआ जबकि उक्त रास्ता वास्तव में खसरा नम्बर 293 रकबा 0.75 हैक्टेयर किस्म चाही–3 में से रकबा 0.10 हैक्टेयर में रास्ता चालू है। प्रस्ताव में सहवन से खसरा नम्बर 293 के बजाय 292 लिखा गया सर्वेसीट की प्रति के अनुसार खसरा नम्बर 293 रकबा 0.75 हैक्टेयर किस्म चाही–3 में से 0.10 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता बाबत संशोधित आदेश दिनांक 09.06.2021 को प्रस्तुत किया और तहसीलदार दातारामगढ ने उसी आवेदन पत्र को उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ को प्रेषित किया और अधिनस्थ न्यायालय ने भी बिना सुनवाई एवं न्यायिक विवेक लगाये ही संशोधित आदेश दिनांक 11.06.2021 को पारित फरमा दिया।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.03.2021 व संशोधित निर्णय दिनांक 11.06.2021 की जानकारी अपीलार्थीगण को पूर्व में नही थी। दिनांक 27.06.2021 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर भूमि की तरमीम किये जाने की कार्यवाही करने लगे तो अपीलार्थीगण ने उसकी जानकारी चाही तो पटवारी हल्का ने कहा कि उक्त भूमि के अलावा अन्य भूमियों के संबंध में दिनांक 10.03.2021 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ द्वारा गै0मु0 रास्ता घोषित किया जा चुका है। इस पर अपीलार्थीगण को फ्रिक हुई। अपीलार्थीगण ने दिनांक 28.06.2021 को ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी दिनांक 29.06.2021 को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.03.2021 व संशोधित निर्णय दिनांक 11.06.2021 की जानकारी हुई, जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त विलम्ब से सम्बन्ध में अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के अन्तर्गत भू–अभिलेख अधिकारी हेतु राजस्व नक्शा व फील्ड बुक की मेंटीनेंस तथा वार्षिक अभिलेख मेन्टेन करने के अधिकार ही प्रदत्त किये गये है। उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत निजी खातेदार की खातेदारी की भूमि से उसके खातेदारी अधिकारों को समाप्त करने का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं है परन्तु फिर भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन

संभागीय आयुक्त
डूंगरपुर

निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होनें की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि राजस्थान भू–राजस्व(भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 में भू–राजस्व अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की पालना करने की प्रक्रिया दी हुई है और राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाजन के परिपत्र में भी कही किसी प्रकार से निजी खातेदार की भूमि में उसके खातेदारी अधिकारों को समाप्त किये जाने के कोई प्रावधान ना तो है ना ही हो सकते है परन्तु फिर भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.03.2021 व संशोधित निर्णय दिनांक 11.06.2021 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7 ने कथन किया है कि विवादित भूमि जो रास्ता वह कई वर्षो से प्रचलित है जिस रास्ते पर पूर्व में विधायक कोष से ग्रेवल सड़क बनी हुई थी जिससे अपीलार्थीगण के हकों पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ता और जब अपीलार्थीगण के हकों पर कोई विपरित प्रभाव ही नही पड़ता है तो अपील का अधिभार ही नही है। अपीलान्ट का केवल आराजी खसरा नम्बर 295, 292 कुल किता 2 कुल रकबा 0.66 में 1/20 भाग में 1/4 भाग है। खसरा नम्बर 292 रकबा 0.48 हैक्टयर में से रास्ते में 0.10 हैक्टयर अर्थात 100 मीटर भूमि बनती है उसके तहत अपीलान्ट का 5 मीटर भाग होता है एवं खसरा नम्बर 295 में 0.025 अर्थात 2.5 मीटर भूमि गई है व उसमें अपीलान्ट की 0.12.5 मीटर भूमि रास्ते में गई है। इसी प्रकार शेष भूमि 18/20 भाग के अन्य खातेदारों की गई है। जिनके द्वारा कोई अपील नही की गई। इसके अलावा आदेश के तहत खसरा नम्बर 257, 256, 293, 300, 298, 255/1123, 254/1122 के खातेदारों द्वारा भी कोई अपील पेश नही की गई। संशोधित आदेश दिनांक 11.06.2021 में खसरा नम्बर 292 को हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का कोई अहित नही है। उन्होने आगे कथन किया है प्रकरण में विवादित भूमि जो रास्ते की भूमि है, में राज्य सरकार की स्वीकृति से मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत डामर की सड़क बन चुकी है जिससे न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन अपील सारहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया

जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि तहसीलदार द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रचलित रास्ते के सम्बन्ध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार रास्तो का राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये है तथा अपीलार्थीगण के साथ–साथ तरतीबी रेस्पोडेन्ट व अन्य कई खातेदारान की आराजी में से भी उक्त रास्ता प्रचलित है किन्तु अपीलार्थीगण के अलावा अन्य किसी भी खातेदारान द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नही की है। कार्यालय ग्राम पंचायत सुलियावास के पत्र दिनांक 24.04.2023 के अनुसार उक्त वादग्रस्त रास्ते पर राज्य सरकार की स्वीकृति से डामर सड़क बनकर तैयार हो भी चुकी है। इस प्रकार से उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अब इस हस्तगत अपील में कोई फोर्स प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2021 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 11.06.2021 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

25/7/23

संभागीय आयुक्त
जयपुर